

# कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक ...../जि0आ0, दिनांक .....

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
खगड़िया।

सेवा में,

01. सीनियर डिवीजन सेल्स मैनेजर।  
इन्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम0डी0)  
द्वारा - आई0बी0पी0 टर्मिनल,  
रिफाइनरी थाना के निकट, बेगूसराय।

02. टेरोटरी आपूर्शन मैनेजर  
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड  
ग्राम +पो0 -पपरौल थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय।

विषय :-


माह मई 2019 के लिए प्राप्त कम्पनीवार कोटा का निर्धारण के आधार पर थोक विक्रेताओं के बीच किरासन तेल का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2009/खाद्य,दिनांक 07.05.2019 द्वारा माह मई 2019 के लिए 44 (चौवालीस) टैंकलौरी यानि 05,28,000.000 (पाँच लाख अठाईस हजार) लीटर किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है एवं पत्रांक 2072/खाद्य, दिनांक 09.05.2019 से कम्पनीवार कोटा प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार आई0ओ0सी0एल0 कम्पनी कोटा में 32 (बत्तीस) टैंकलौरी एवं बी0पी0सी0एल0 कम्पनी कोटा में 12(बारह) टैंकलौरी निर्धारित किया गया है। तदनुसार इस जिले के निम्नांकित आई0ओ0सी0एल0/बी0पी0सी0एल0 के किरासन तेल थोक विक्रेताओं को किरासन तेल का उपावंटन निम्नप्रकार किया जाता है।

क्र0	किरासन तेल थोक विक्रेता का नाम	संबंधित तेल कम्पनी का नाम	उपावंटित मात्रा (टैंक लौरी) में	उपावंटित मात्रा (के0 एल0) में	उपावंटित मात्रा (लीटर में)
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स मिथिलेश्वर सिंह, किरासन तेल थोक विक्रेता, खगड़िया।	इन्डियन ऑयल	08(आठ)	96 के0एल	96000.000
1.	मेसर्स गंगानंद सिंह, खगड़िया।	इन्डियन ऑयल	07(सात)	84 के0एल	84000.000
2.	मेसर्स शिक्षित बेरोजगार सहयोग समिति, खगड़िया।	इन्डियन ऑयल	07(सात)	84 के0एल	84000.000
3.	मेसर्स शहरबन्नी श्रमिक सहयोग समिति, महेशखुट।	इन्डियन ऑयल	10(दस)	120 के0एल	120000.000
4.	मेसर्स सूरजमल महादेवलाल, किरासन तेल थोक विक्रेता, खगड़िया।	बी0पी0सी0एल0	12(बारह)	144 के0 एल0	144000.000
कुल योग :-			44 (चौवालीस)	528 के0 एल0	528000.000


विश्वासभाजन

  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।

प्रतिलिपि :-  
प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक 337...../जि0आ0, दिनांक 11-05-19

प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, समाहरणालय, खगड़िया के जिला वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित। सभी संबंधित किरासन तेल थोक विक्रेताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप एवं निर्धारित रोस्टर के आधार पर तेल कम्पनी से किरासन तेल का उठाव किया जाना सुनिश्चित करें।

  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।